न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3857–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–08–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला रायसेन, प्रकरण कमांक 07/अपील/2014–15.

—

1–लीलाकिशन आत्मज स्व0श्री चंपालाल चौकसे
2–श्रीमती मोतनबाई बेवा श्री चंपालाल चौकसे
दोनों निवासी गणेश चौक मण्डीदीप तहसील गौहरगंज,
जिला रायसेन म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती कुसुम पत्नी रामकिशन चौकसे पुत्री स्व0चंपालाल
निवासी चौकसे किराना स्टोर काजी कैंप बैरसिया रोड,
भोपाल
2–श्रीमती इन्द्राबाई पत्नी बालमुकुन्द चौकसे
निवासी वार्ड कमांक 3 गणेश चौक मण्डीदीप
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन
3–श्रीमती शिवकुमारी पत्नी रामदयाल चौकसे
निवासी ग्राम सेमराकला तहसील हुजूर जिला भोपाल
4–श्रीमती नीलमणि पत्नी जगदीश प्रसाद राय
निवासी मकान नम्बर 310, गली नं.2, शंकर मंदिर के पास,
नारायण नगर होशंगाबाद भोपाल
5–श्रीमती शकुन्तला पत्नी मॉगीलाल राय
मुकाम पोस्ट उदयपुर तहसील गंजबासौदा विदिशा
6–राजेन्द्र कुमार आत्मज स्व0श्री चंपालाल चौकसे
गणेश चौक मण्डीदीप तहसील गौहरगंज जिला रायसेन

.....अनावेदकगण

———

श्री गुलाबसिंह चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री एच0एस0मीणा, अभिभाषक, अनावेदकगण

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/8/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश 21–08–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण के द्वारा नामान्तरण पंजी की प्रविष्टि दिनांक 11–5–2003 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला रायसेन के समक्ष दिनांक 18–12–2014 को लगभग 10 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । चूँकि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई थी, इसलिये अवधि विधान की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब क्षमा हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण कमांक 7/अपील/2014–15 दर्ज कर दिनांक 21–8–2015 को अंतरिम आदेश पारित किया जाकर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया है और सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी अनावेदकगण को प्रारंभ से ही रही है । तर्क में यह भी कहा गया कि जब वर्ष 2002 में प्रश्नाधीन भूमियों का बटवारा हुआ उस समय अनावेदकगण को तहसील न्यायालय के आदेश की जानकारी हो गई थी, इसके बावजूद भी उनके द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बटवारानामा दिनांक 5–5–2002 एवं आपसी बटवारानामा दिनांक 15–9–2013 का बिना अवलोकन किये विलम्ब क्षमा करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि उक्त बटवारानामा में फौती नामान्तरण की जानकारी न होना लिखते हुये आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण मृतक भूमिस्वामी की पुत्रियॉ होकर वारिस है और उनकी शादी होकर वे अपने ससुराल में हैं, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने में न तो उन्हें पक्षकार बनाया गया है और न ही उन्हें कोई सूचना दी गई है । यह भी कहा गया कि नामान्तरण पंजी पर उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि वारिसाना नामान्तरण में सभी वारिसों के नाम दर्ज किये जाते हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश के संबंध में समय सीमा लागू नहीं होती है अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी पर पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 11–5–2003 में मृतक भूमिस्वामी के सभी वारिसानों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । यहॉ तक कि अनावेदकगण मृतक भूमिस्वामी की पुत्रियॉ हैं और उन्हें प्रकरण में न तो पक्षकार बनाया गया है और न ही सूचना दी गई है, जबकि संहिता की धारा 109 व 110 के अन्तर्गत बने नामान्तरण नियमों के तहत हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिशः सूचना दिया जाना आवश्यक है और अनावेदकगण मृतक भूमिस्वामी की पुत्रियॉ होने के कारण प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी गौहरगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश 21–08–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर